ई–गवर्नेंस सोसाईटी (आर0एल0ए0) जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.09.2005 से 31.03.2014

1 प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्याः टी0पी0टी0–एफ(1)3/2000 ई0–गर्वनेन्स दिनांक 03.09.2005 के अन्तर्गत प्रदेश की परिवहन से सम्बधित ई0–गर्वनेन्स सोसाइटीयों का अंकेक्षण स्थानीय लखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ई0 गर्वनेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, के अवधि 09/2005 से 03/2004 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, इस विभाग के श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 10.02.2015 से 11.02.2015, दिनांक 16.02.2015 तथा 23.02.2015 से 09.03.2015 क दौरान जयसिंहपुर में किया गया, जिसके परिणाम अग्रलिखित अनुच्छेदों में दिए गए हैं। ई0 गर्वनेन्स सोसाइटी धर्मशाला का गठन सभायें पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 (हिमाचल प्रदेश संशोधित अधिनियम, 1973) के अन्तर्गत दिनांक 19.04.2004 को पंजीकरण संख्याः 4121/2004 के अन्तर्गत हुआ तथा इसी पंजीकरण संख्याः के अन्तर्गत उक्त सोसाईटी द्वारा कार्य किया गया दर्शाया गया है।

(ख) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आय एवं व्यय की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	आय की जाँच के लिए चयनित मास	व्यय की जाँच के लिए चयनित मास
1.	2005–06	11/2005	10/2005
2.	2006–07	12/2006	02/2007
3.	2007–08	11/2007	06/2007
4.	2008–09	01/2009	07/2008
5.	2009/10	10/2009	12/2009
6.	2010–11	09/2010	09/2010
7.	2011–12	12/2011	09/2011
8.	2012–13	03/2013	04/2012
9.	2013–14	02/2014	01/2014

(ग) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों ने सोसाईटी के प्रशासक एवं आहरण तथा संवितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री रतन गौतम	26.09.2003 से 06.02.2006
2.	श्री जे0सी0 पटियाल	06.02.2006 से 11.06.2007
3.	श्री नीरज कुमार	23.06.2007 से 27.02.2009
4.	कुमारी शायनामोआला	02.03.2009 से 26.03.2009
5.	श्री मोहर सिंह चौहान	08.04.2009 से 30.09.2011
6.	श्री विक्रम महाजन	30.09.2011 से लगातार

(घ) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्रम संख्या	पैरे का विवरण	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1	राजकीय कोष में सेवा शुल्क के 25% भाग के रूप में राशि का कम जमा करवाया जाना	6	2.79
2	कार्यालय के बिजली बिलों का भुगतान अनियमित रूप से ई0 गर्वनेन्स निधि से करना	8	0.87
3	कार्यालय वाहन में पैट्रोल डालने हेतु राशि का भुगतान अनियमित रूप से ई0 गर्वनेन्स निधि से करना	9	0.50
4	ई0 गर्वनेन्स निधि (आर0एल0ए0) से राशि का अनियमित भुगतान करना	10	0.25

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन (आर0एल0ए0) जयसिंहपुर द्वारा प्रदत्त सूचनाओं एवं जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त सोसाईटी द्वारा प्रदत्त किसी गलत या अपूर्ण सूचना अथवा ऐसी सूचना जो उपलब्ध हो न करवाई गई हो, के परिणाम स्वरूप इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लखा परीक्षा विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

2 अंकेक्षण शुल्क

(आर0एल0ए0) जयसिंहपुर के अवधि 09/2005 से 03/2014 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवस के आधार पर ₹15,000/– आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 को भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अधियाचना संख्याः 044/2015, दिनांक 07.03.2015 द्वारा उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं प्रशासक (आर0एल0ए0) जयसिंहपुर से अनुरोध किया गया था तथा उनके द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को भारतीय स्टेट बैंक, जयसिंहपुर शाखा के ड्राफ्ट संख्याः 473889, दिनांक 11.03.2015 के माध्यम से भेज दिया गया है।

3 वित्तीय स्थिति

ई0 गर्वनेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) जयसिंहपुर द्वारा प्रस्तुत सोसाईटी की वित्तीय स्थिति इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **''परिशिष्ट–क''** में दी गई है।

4 बचत खाते से सम्बन्धित ब्याज की ₹924/– को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही एवं बचत खाते से सम्बन्धित पास बुक के मिलान के दौरान जाँच में पाया गया कि (आर0एल0ए0) जयसिंहपुर द्वारा बचत खाते में माह 07/2007 में प्राप्त ब्याज की ₹924/– को दिनांक 31.03.2014 तक रोकड़ बही में नहीं लिया गया है। इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि बचत खाते में प्राप्त ब्याज की राशियों को यथासमय रोकड़ बही में दर्ज न करके दो से तीन साल के अन्तराल के उपरान्त इक्टठा ही दर्ज किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सोसाईटी की वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं होती है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए ब्याज के रूप में प्राप्त राशियों को रोकड़ बही में दर्ज करने के अतिरिक्त भविष्य में समय–समय पर अर्जित ब्याज को यथासमय

रोकड़ बही में दर्ज किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

5 रोकड़ बही/लेखों का रख–रखाव नियमानुसार न किया जाना

हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः टी0पी0टी0–एफ(1)3/2000–ई0–गर्वनेन्स दिनांक 03.09.2005 की धारा 3(ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा अपने लेखो का रख–रखाव नियमानुसार सुनिश्चित करते हुए आय एवं व्यय का विवरण तथा सम्पूर्ण गतिविधियों का वार्षिक आधार पर तुलन पत्र तैयार किया जाना अपेक्षित है। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि (आर0एल0ए) जयसिंहपुर द्वारा न तो आय एवं व्यय का विवरण एवं लेजर तैयार किए गए हैं और न ही तुलन पत्र तैयार किया गया है। अंकेक्षण के दौरान रोकड बही की जाँच में यह भी पाया गया कि (आर0एल0ए0) द्वारा रोकड़ बही का रख–रखाव भी नियमानुसार नहीं किया गया है तथा आय एवं व्यय की सम्पूर्ण प्रविष्टियों को रोकड़ बही में दर्ज़ नहीं किया गया है। इसक अतिरिक्त कुछ मामलों में गलत प्रविष्टियाँ भी की गई हैं। रोकड़ बही में कई स्थानों पर योग में भी गलतियाँ की गई हैं। जाँच में यह भी पाया गया कि रोकड़ बही को कई स्थानों पर प्रविष्टियों को तरल (flued) लगाकार लिखा गया है, जो कि एक अनुचित प्रक्रिया होने क साथ–साथ नियमों के विरूद्ध भी है। रोकड़ बही में रख–रखाव की इन गलतियों के कारण (आर0ए0ए0) की रोकड़ के आधार पर सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त (आर0एल0ए0) द्वारा बैंक पास बुक तथा रोकड़ बही का मिलान भी नहीं किया गया है। अंकेक्षण द्वारा (आर0एलए00) के अधिकारियों तथा कर्मचारियों क सहयोग से अपने स्तर पर (आर0एल0ए0) की रोकड़ बही, पासबुक एवं अन्य उपलब्ध अभिलेख के आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करने की कोशिश की गई है, जो कि इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **''परिशिष्ट–ख''** एवं **''परिशिष्ट–ग''** में संलग्न है। अतः रोकड़ बहो के उचित रख–रखाव एवं इसमें पाई गई विभिन्न अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में रोकड़ बही एंव अन्य वांछित अभिलेख का रख–रखाव

नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य के सन्दर्भ में यह सुझाव दिया जाता है कि रोकड़ बही में अगर किसी प्रविष्टि को ठीक करना हो तो उसे काट कर नई प्रविष्टि पुनः लिखी जाए तथा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाया जाए। उक्त के अतिरिक्त (आर0एल0ए0) की आय एव व्यय विवरणी, तुलनपत्र, बैंक समाधान विवरणी तथा अन्य वांछित अभिलेख भी समय–समय पर नियमों के पावधानानुसार तैयार किए जाएं तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

6 राजकीय कोष में सेवा शुल्क के 25% भाग के रूप में ₹2,79,126/–का कम जमा करवाया जाना

हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः टी0पी0टी0–एफ(1)3/2000–ई0–गर्वनेन्स, दिनांक 03.09.2005 के पैरा संख्याः 3(बी) के अनुसार सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त की गई कुल प्राप्तियों का 25% भाग राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। (आर0एल0ए0) जयसिंहपुर द्वारा **परिशिष्ट–''घ''** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख के अनुसार अंकेक्षणाधीन अवधि 09/2005 से 03/2014 के दौरान सेवा शुल्क के रूप में कुल ₹14,58,445/– की वसूली की गई थी, जिसक 25% भाग की ₹3,64,611/– राजकीय कोष में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी, परन्तु (आर0एल0ए0) जयसिंहपुर द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में निम्न विवरणानुसार मात्र ₹85,485/– ही राजकीय कोष में जमा करवाए गईः–**(परिशिष्ट–"घ–1")**

क्रम संख्या	चलान संख्या एवं दिनांक	राशि
1	02, दिनांक 23.09.2011	42,500
2	01, दिनांक 28.12.2011	18,030
3	01, दिनांक 10.04.2013	13,605
4	01, दिनांक 28.10.2013	11,350
	कुल योग	**₹85,485/–**

इस प्रकार राजकीय कोष में {₹3,64,611 – ₹85,485 = ₹2,79,126} कम जमा करवाई गई, जिसके कारण तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुए उपरोक्त कम जमा करवाई गई राशि को अविलम्ब राजकीय कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही राजकीय कोष में सेवा शुल्क के 25% भाग को जमा करवाया जाए।

7 ई0–गर्वनेन्स निधि से प्राप्त आय को यथा समय बैंक में जमा न करवाया जाना

ई0–गर्वनेन्स सोसाइटी (आर0एल0ए0) जयसिंहपुर की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक की जाँच में पाया गया कि (आर0एल0ए0) द्वारा परिवहन से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों से प्राप्त आय को बैंक में समय पर जमा न करवाकर कई दिनों की आय को इक्टठा बैंक में जमा करवाया जा रहा है, जबकि नियमानुसार प्राप्त आय को उसी कार्य दिवस अथवा आगामी कार्य दिवस पर बैंक में जमा करवाया जाना अपेक्षित होता है। इस प्रकार प्राप्त आय को समय पर बैंक में जमा न करवाये जाने के कारण प्राप्त आय के अस्थाई दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अंकेक्षण द्वारा चयनित मासों में इस प्रकार के प्रकरणों में प्राप्त आय एवं उसे देरी से करवाये जाने सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र0 सं0	अवधि जिसमें आय प्राप्त की गई	चयनित मास	प्राप्त आय	जमा की गई आय	जमा की दिनांक
1	05.09.05 से 27.09.05	09/05	5,150	4,250	27.09.05
2	28.09.05 से 06.10.05	10/05	2,700	3,500	07.10.05
3	07.10.05 से 29.10.05	10/05	8,800	8,950	31.10.05
4	02.11.05 से 26.11.05	11/05	9,600	9,150	28.11.05
5	28.11.05 से 30.11.05	11/05	1,350	1,850	12.12.05
6	18.11.05 से 30.11.06	12/06	4,600	4,600	04.12.06
7	01.12.06 से 08.12.06	12/06	1,000	1,000	11.12.06
8	12.12.06 से 23.12.06	12/06	7,750	7,750	26.12.06

9	26.12.06 से 30.12.06	12/06	1,700	1,700	02.01.07
10	16.10.07 से 31.10.07	11/07	6,090	6,090	01.11.07
11	01.11.07 से 17.11.07	11/07	6,790	6,790	21.11.07
12	18.11.07 से 30.11.07	11/07	4,430	4,430	14.12.07
13	24.12.08 से 31.12.08	01/09	8,120	8,120	01.01.09
14	01.01.09 से 07.01.09	01/09	2,690	2,690	12.01.09
15	08.01.09 से 17.01.09	01/09	4,370	4,370	22.01.09
16	18.01.09 से 31.01.09	01/09	6,350	6,350	02.02.09
17	15.09.09 से 23.09.09	10/09	7,810	7,810	01.10.09
18	24.09.09 से 30.09.09	10/09	2,020	2,020	01.10.09
19	01.10.09 से 07.10.09	10/09	2,220	2,220	09.10.09
20	08.10.09 से 15.10.09	10/09	3,530	3,530	28.10.09
21	16.10.09 से 27.10.09	10/09	9,420	9,420	28.10.09
22	28.10.09 से 09.11.09	10/09	4,550	4,550	10.11.09
23	26.08.10 से 31.08.10	09/10	2,630	2,630	03.09.10
24	01.09.10 से 06.09.10	09/10	1,900	1,900	07.09.10
25	07.09.10 से 10.09.10	09/10	1,330	1,330	13.09.10
26	11.09.10 से 15.09.10	09/10	1,240	1,240	17.09.10
27	16.09.10 से 27.09.10	09/10	9,860	9,860	28.09.10
28	28.09.10 से 30.09.10	09/10	2,780	2,780	13.10.10
29	01.10.10 से 12.10.10	09/10	2,780	2,780	13.10.10
30	24.11.11 से 30.11.11	12/11	10,450	10,450	01.12.11

31	01.12.11 से 05.12.11	12/11	1,740	1,740	08.12.11
32	06.12.11 से 09.12.11	12/11	1,960	1,960	16.12.11
33	10.12.11 से 17.12.11	12/11	4,250	4,250	21.12.11
34	18.12.11 से 22.12.11	12/11	1,760	1,760	23.12.11
35	23.12.11 से 28.12.11	12/11	2,860	2,860	29.12.11
36	29.12.11 से 31.12.11	12/11	5,230	5,230	03.01.12
37	06.01.13 से 31.01.13	03/13	17,110	17,110	13.03.13
38	01.02.13 से 28.02.13	03/13	18,930	18,930	13.03.13
39	01.03.13 से 13.03.13	03/13	6,920	6,920	14.03.13
40	14.03.13 से 16.03.13	03/13	2,810	2,810	19.03.13
41	17.03.13 से 20.03.13	03/13	2,580	2,580	21.03.13
42	21.03.13 से 23.03.13	03/13	5,280	5,280	26.03.13
43	24.03.13 से 31.03.13	03/13	1,680	1,680	02.04.13
44	17.01.14 से 31.01.14	02/14	13,300	13,300	01.02.14
45	01.02.14 से 07.02.14	02/14	7,015	7,015	15.02.14
46	08.02.14 से 15.02.14	02/14	14,415	14,415	18.02.14
47	16.02.14 से 20.02.14	02/14	3,925	3,925	21.02.14
48	21.02.14 से 28.02.14	02/14	4,775	4,775	04.03.14

उपरोक्त दिये गए विवरण से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि (आर0एल0ए0) द्वारा प्राप्त आय को समय पर बैंक में जमा न करवाकर कई–कई कार्य दिवसों के पश्चात् बैंक में इक्ट्ठा जमा करवाया गया है। अंकेक्षण द्वारा अभिलेख की जाँच में पाया गया कि कुछ मामलों में प्राप्त आय को प्राप्ति के एक से दो माह के अन्तराल

उपरान्त भी बैंक में जमा करवाया गया है। उदाहरणार्थ क्रम संख्याः 12, 17, 20, 37, 38 एवं 45 में प्राप्त आय को 7 से 35 दिन के अन्तराल उपरान्त बैंक में जमा करवाया गया है। अंकेक्षण द्वारा उक्त वर्णित आंकड़े केवल चयनित मासों से सम्बन्धित हैं, जबकि (आर0एल0ए0) द्वारा प्राप्त आय को बैंक में देरी से जमा करवाने हेतु इस प्रक्रिया को सम्पूर्ण अंकेक्षणावधि एव उसके उपरान्त भी अपनाया गया है। अतः (आर0एल0ए0) द्वारा प्राप्त आय को समय पर बैंक में जमा न करवाये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए देरी से जमा करवाई गई राशियों पर दण्ड ब्याज की गणना संस्था स्तर पर की जाए एवं उसकी वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से करने के उपरान्त समस्त राशि को ई0–गर्वनेन्स निधि में जमा करवाया जाए एवं की गई कार्यवाही से आगामी अकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य के सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि ई0–गर्वनेन्स सोसायटी (आर0एल0ए0) में प्राप्त समस्त आय को उसी कार्य दिवस अथवा आगामी कार्य दिवस पर बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो।

8 कार्यालय के बिजली बिलों की ₹87,600/– का भुगतान अनियमित रूप से ई0 गर्वनेन्स निधि से करने बारे

चयनित मासों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय के निम्नलिखित बिजली बिलो का भुगतान ई0 गर्वनेन्स निधि से किया गया है, जबकि सोसाइटी द्वारा बनाये गये नियमों (E-Governance Fund Rules) के नियम 8.13 में यह स्पष्टतः उल्लेखित है कि कार्यालय के बिजली एवं टैलीफोन बिलों का भुगतान कार्यालय के बजट में ''Other Expenditure Head (O.E. Head)'' में धन उपलब्ध न होने को स्थिति में ही किया जा सकता है, किन्तु अंकेक्षण के दौरान जाँच एवं पुष्टि हेतु इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिसमें यह स्पष्ट होता हो कि वास्तव में कार्यालय के “Other Expenditure Head (O.E. Head)” में बजट की अनुपलब्धता पर ही यह भुगतान ई0 गर्वनेन्स सोसाइटी से किया गया है। अतः बिजली के बिलों का भुगतान ई0 गर्वनेन्स सोसाइटी से “O.E. Head” में बजट की अनुपलब्धता पर किया गया है, उससे सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर

प्रस्तुत किए जाएं। जाँच में यह भी पाया गया कि ई0—गर्वनन्स की रोकड़ बही एवं स्वीकृति पत्र (Sanction Letter) में इन बिलों की राशि ऋण के रूप में दी गई दर्शायी गई है। अतः यदि इन राशियों पर प्रर्त्यपन (Refund) ई0—गर्वनेन्स निधि में कर दिया गया है, तो इससे सम्बन्धित अभिलेख भी जाँच हेतु आगामी अकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं। इसके अतिरिक्त चयनित मासों के अलावा अन्य मासों में इस तरह के भुगतानों की जाँच संस्था स्तर पर करने के उपरान्त तदानुसार ही अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

क्र0 सं0	मीटर क्रमांक /बिल क्रमांक/रसीद नं0	माह	राशि	टिप्पणी
1.	JC-208/1594692)	02/07	29,500	तहसील कार्यालय का बिल
2.	JC-339/0377013	07/08	11,675	
3.	JC-339/0694997	12/09	4,084	
4.	JC-339/0440819	09/10	8,637	
5.	JC-339/0892459	04/12	8,674	
6.	प्रतिभूति राशि (लघु सचिवालय भवन)	04/12	25,030	इस राशि का भुगतान लघु सचिवालय भवन में बिजली का मीटर स्थापित करने हेतु दर्शाया गया है
	कुल योग		**87,600**	

9 कार्यालय वाहन में पैट्रोल डालने हेतु ₹50,000/— का भुगतान अनियमित रूप से ई0 गर्वनेन्स निधि से करने बारे

हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः टी0पी0टी0—एफ(1)—3/2000 ई0—गर्वनेन्स दिनांक 03.09.2005 के नियम 3(b), व्यय शीर्ष के क्रम संख्याः 2 के अनुसार, ई0—गर्वनेन्स निधि से वाहन की मुरम्मत अथवा पैट्रोल या किसी अन्य वाहन सम्बन्धी कार्य हेतु व्यय नहीं किया जा सकता है, किन्तु अभिलेख कार्यालय नोटिंग संख्याः शून्य दिनांक 15.01.2014 के अनुसार (आर0एल0ए0) जयसिंहपुर द्वारा माह 01/2014 में ₹50,000/— का भुगतान अग्रिम राशि प्रदान करके मैं0 एम्बीशन एच0पी0 सेन्टर, जयसिंहपुर को कार्यालय वाहन के

लम्बित पैट्रोल बिलों के भुगतान हेतु किया गया है, परन्तु उक्त अग्रिम राशि के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नही करवाए गए। जाँच में यह भी पाया गया कि यह अग्रिम राशि ई0–गर्वनेन्स निधि से ऋण के रूप में प्राप्त की गई थी, किन्तु इस राशि के प्रर्त्यपण (Refund) से सम्बन्धित अभिलेख भी वर्तमान अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए, जिसके अभाव में ऋण के रूप में प्रदान की गई राशि की ई0–गर्वनेन्स निधि में वापस प्राप्ति से सम्बन्धित जाँच भी वर्तमान अंकेक्षण में नही की जा सकी। अतः ई0 गर्वनेन्स सोसाइटी से अनियमित रूप से भुगतान की गई उक्त ₹50,000/– को शीघ्र सोसाइटी के खाते में जमा करवाए जाने के अतिरिक्त इस भुगतान को नियमों के विरूद्ध सोसाइटी खाते से करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

10 ई0 गर्वनेन्स निधि (आर0एल0ए0) से ₹25,200/– का अनियमित भुगतान करना

(आर0एल0ए0), जयसिंहपुर द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में परिवहन से सम्बन्धित गतिविधियों एवं तहसील कार्यालय द्वारा जारी विभिन्न गतिविधियेां की आय को अलग–अलग रोकड़ बही में दर्ज करके उनको बैंक में भी अलग–अलग जमा करवाया जा रहा है, किन्तु निम्न विवरणानुसार तहसील कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों क वेतन एवं मोबाइल भत्ते का भुगतान भी परिवहन गतिविधियों से प्राप्त आय में से किया गया है, जबकि नियमानुसार इनका भुगतान तहसील कार्यालय में प्राप्त आय में से किया जाना अपेक्षित था।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	माह/ दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ सं0	राशि	टिप्पणी
1.	श्री संजीव कुमार (कम्पयूटर ऑपरेटर)	19.06.08	36	4,000	माह 05/08, 06/08, 07/08 एवं 01/09 के वेतन का भुगतान आर0एल0ए0 में से किया गया है

2.	–यथोपरि–	01.07.08	37	4,000	
3.	–यथोपरि–	01.08.08	39	4,000	
4.	–यथोपरि–	02.02.09	48	6,000	
5.	श्री रतन बहादुर थापा (तहसीलदार)	26.02.09	49	600	अधिकारी के मोबाईल भत्ते का भुगतान
6.	श्री कांशी राम ठाकुर (नायब तहसीलदार)	26.02.09	49	600	मोबाईल भत्ते का भुगतान
7.	श्री खुशी राम (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर)	02.02.09	48	6,000	माह 01/09 के वेतन का भुगतान
		योग		**₹25,200**	

अतः तहसील कार्यालय में कार्यरत स्टाफ के वेतन एवं मोबाईल भत्ते को अनाधिकृत रूप में (आर0एल0ए0) से करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसकी वसूली तहसील कार्यालय की ई0 गर्वनेन्स निधि से प्राप्त आय में से करने के उपरान्त इसे (आर0एल0ए0) के परिवहन से सम्बन्धित खाते में जमा करवाया जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

11 ई0 गर्वनेन्स निधि से किए गए ₹9,652/– के अनाधिकृत व्यय के बारे में

(आर0एल0ए0) जयसिंहपुर द्वारा ई0 गर्वनेन्स निधि में से ₹9,652/– का व्यय, सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः टी0पी0टी0–एफ(1)3/2000–ई0 गर्वनेन्स, दिनांक 03.09.2005 के पैरा 3(b) में वर्णित मदों पर न करके अनाधिकृत रूप में कार्यालय की अन्य मदों पर किया गया है, जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्नलिखित है :–

क्र0 सं0	**व्यय का विवरण,मद जिस पर व्यय किया गया**	**संस्था/ व्यक्ति जिसे भुगतान किया गया**	**राशि**	**टिप्पणी**
1.	कार्यालय फोटोस्टेट के लिए	मैं0 सुमन कुमार, जयसिंहपुर	945	फर्म को भुगतान चैक संख्याः 429835, दिनांक 26.02.13 द्वारा किया
2.	–यथोपरि–	–यथोपरि–	1,050	

3.	–यथोपरि–	–यथोपरि–	510	गया
4.	–यथोपरि–	–यथोपरि–	555	
5.	–यथोपरि–	–यथोपरि–	750	भुगतान चैक संख्या 429813, दिनांक11.10.12 द्वारा किया गया
6.	–यथोपरि–	–यथोपरि–	825	
7.	कार्यालय प्रयोगार्थ शासकीय डाक टिकटें	डाक विभाग	500	टिकटों का क्रय पत्र सं0 200/ उ0म0अ0एल0सी0, दिनांक 23.04.12 द्वारा किया गया
8.	गाड़ी को किराये पर लिए जाने का भुगतान	श्री इलमुदीन, टिकरी, जयसिंहपुर	2,200	गाड़ी का भुगतान चैक सं0 080214, दिनांक 07.05.13 द्वारा किया गया
9.	जनरेटर में डीज़ल डालने हेतु	मैं0 एम्बोशन एच0पी0 सेन्टर, जयसिंहपुर	400	उक्त भुगतान रोकड़ बही के पृष्ठ संख्याः क्रमशः 92, 37 एवं 56 मे दर्शाये गए हैं
10.	–यथोपरि–	–यथोपरि–	1600	
11.	–यथोपरि–	–यथोपरि–	317	
		कुल योग	**₹9,652**	

उक्त विवरणानुसार क्रम संख्याः 1 से 6 में कार्यालय की अन्य शाखाओं के फोटोस्टेट बिलों का भुगतान, क्रम संख्याः 7 में कार्यालय हेतु शासकीय डाक टिकटों का क्रय, क्रम संख्याः 8 में गाड़ी को किराये पर लिए जाने से सम्बन्धित भुगतान एवं क्रम संख्याः 9 से 11 में जनरेटर में डीज़ल डालने का भुगतान, ई0–गर्वनेन्स निधि में किया गया, जोकि इस निधि पर उचित प्रभार नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 03.09.2005 एवं ई0 गर्वनेन्स सोसाइटी धर्मशाला के मुख्य प्रशासक एवं जिलाधीश कांगडा द्वारा जारी ई0 गर्वनेन्स फण्ड नियम एवं समय–समय पर जारी अन्य दिशा निर्देशों अनुसार, ई0 गर्वनेन्स (आर0एल0ए0) निधि में से व्यय केवल अधिसूचित मदों पर ही किया जा सकता था। अतः अनाधिकृत रूप से किए गए उपरोक्त वर्णित व्यय की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त, इसे ई0 गर्वनेन्स निधि में शीघ्र जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया

जाए एवं कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य के सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि (आर0एल0ए0) की परिवहन गतिविधियों से प्राप्त आय को सरकार एवं मुख्य प्रशासक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 ई0 गर्वनेन्स निधि से किए गए क्रय में पाई गई विभिन्न अनियमितताएं बारे

ई0 गर्वनेन्स सोसाइटी (आर0एल0ए0) जयसिंहपुर द्वारा क्रय किए गए विभिन्न प्रकार के सामान से सम्बन्धित भुगतान बिलों की जाँच में पाया गया कि क्रय किए गए सामान हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार एवं सोसाइटी द्वारा बनाये गए नियमों, मुख्य प्रशासक धर्मशाला द्वारा जारी दिशा निर्देशों/नियमों एवं क्रय प्रक्रिया की पूर्णतया अनदेखी की गई है तथा क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियां इत्यादि न करने के अतिरिक्त अधिकतर मामलों में सक्षम प्राधिकारी की व्यय हेतु स्वीकृति भी प्राप्त नही की गई है।

क्र0 सं0	फर्म का नाम	बिल सं0	दिनांक	भुगतान माह	राशि	क्रय सामान का विवरण
1	मैं0 लक्ष्मी कम्पयूटर एंव पैरीफिरलस पालमपुर	121	08.05.07	06/07	5,616	बॉण्ड पेपर, कार्टरज़, ग्लोसी शीट्स, टोनर
2	मैं0 सूद स्टील इण्डस्ट्री, मारण्डा	499	18.05.07	06/07	10,296	कुर्सियाँ 3 सैट
3	मैं0 सूद एन्टरप्राइज़ेस, जयसिंहपुर	23	17.07.08	07/08	700	रंग–रोगन का सामान
4	श्री मुनी लाल, जयसिंहपुर	शून्य	शून्य	07/08	3,000	रंग–रोगन का सामान
5	श्री नरेन्द्र भण्डारी, जयसिंहपुर	शून्य	शून्य	07/08	1,200	टाईल लगाने का कार्य
6	श्री विनय कुमार, जयसिंहपुर	शून्य	शून्य	07/08	600	मजदूरी की एवज़ में
7	मैं0 इन्टेल टक्नोलोजी,	2610	31.10.09	12/09	5,000	कार्टरज़ 3 नं0

	पालमपुर					
8	मैं0 कम्पयूटेक सिस्टम, पालमपुर	C/s 2384	04.09.09	12/09	160	
9	मैं0 विशाल आर्ट गैलरी, कुटाइण	20/717	10.12.09	12/09	3,000	लोहे के बोर्ड की पेन्टिंग
10	–यथोपरि–	20/718	10.12.09	12/09	3,000	
11	मैं0 लक्ष्मी कम्पयूटर पालमपुर	7194	05.06.10	09/10	1,890	कार्टरेज़ 1 नं0
12	–यथोपरि–	7498	16.07.10	09/10	525	प्रिन्टर का सामान
13	मैं0 वी0के0 इण्डस्ट्रीज़ पालमपुर	5462	02.08.10	09/10	27,717	एल्यूमिनियम केबिन, दरवाज़ा आदि
14	मैं0 लक्ष्मी कम्पयूटर पालमपुर	7981	22.09.10	09/10	500	टोनर रिफिलिंग
15	–यथोपरि–	8563	14.12.10	09/11	5,192	हार्ड डिस्क, बैब कैमरा, बॉन्ड पेपर,
16	–यथोपरि–	8968	23.02.11	09/11	500	टोनर, रिफिलिंग
17	–यथोपरि–	9022	01.03.11	09/11	1,760	कार्टरज़
18	–यथोपरि–	9591	शून्य	09/11	3,100	कार्टरज, कम्पयूटर पेपर
19	मैं0 लक्ष्मी कम्पयूटर, पालमपुर	9720	14.06.11	09/11	1,502	16 पोर्ट स्विच
20	–यथोपरि–	9821	28.06.11	09/11	1,523	कार्टरज 1 नं0
21	–यथोपरि–	10219	30.08.11	09/11	6,600	प्रिन्टर 1 नं0
22	–यथोपरि–	10425	28.09.11	09/11	2,254	कार्टरज
23	मैं0 शर्मा बुक डिपो, जयसिंहपुर	1906	23.09.11	09/11	1,529	ए–4 पेपर, बालपेन
24	मैं0 बण्टी इलेक्ट्रीकल वर्क्स, लम्बागांव	006	09.05.11	09/11	3,171	बिजली का सामान
25	मैं0 लक्ष्मी कम्पयूटर, पालमपुर	410	27.07.11	09/11	950	कार्टरज 1 न0
26	मैं. एलोरा टैक्नोलोजीस, हमीरपुर	1369	06.01.12	04/12	1,460	कार्टरज 1 नं0

27	–यथोपरि–	1370	06.01.12	04/12	1,800	नोटबुक की–पैड

उपरोक्त वर्णित भुगतान बिलों में मुख्यतः निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ पाई गई, जिनका निराकरण करना अपेक्षित हैः–

(क) क्रम संख्याः 1, 2, 7, 15, 18, 21, 24 में वर्णित भुगतान बिलों के सन्दर्भ में (आर0एल0ए0) जयसिंहपुर द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित क्रय प्रक्रिया की पूर्ण रूप से अनदेखी करते हुए सभी क्रय बिना औपचारिक्ताओं को पूर्ण किए हुए किए गए हैं। इस प्रकार क्रय करने हेतु निविदायें आमंत्रित न करने के कारण इन समस्त क्रय बिलों में बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया है, जबकि ई0 गर्वनेन्स सोसाईटी के नियम (E- Governance Fund Rules) 7.2 में स्पष्ट उल्लेखित है कि सामान का क्रय प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर किया जाए। इसके अतिरिक्त ई0 गर्वनेन्स निधि के मुख्य प्रशासक एवं जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी अधोनस्थ (आर0एल0ए0) द्वारा क्रय किए गए सामान का मूल्य सोसाईटी द्वारा निर्धारित/अनुमोदित दरों से अधिक नहीं होना चाहिए। अतः बिना औपचारिक्तायें पूर्ण किए सामान का क्रय करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उपरोक्त वर्णित सभी मामलो में सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) क्रम संख्याः 1 एवं 2 के भुगतान बिलों को छोडकर अन्य समस्त भुगतान बिलों की स्टॉक प्रविष्टियाँ, स्टॉक पंजिका में नहीं की गई है, जिसके अभाव में उपरोक्त वर्णित क्रय को प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नियमानुसार किसी भी सामान को क्रय करने के उपरान्त सर्वप्रथम उसको स्टॉक प्रविष्टि खपत योग्य एवं स्थाई वस्तुओं हेतु पृथक–पृथक रूप से की जानी अपेक्षित है एवं तदानुसार ही उनका क्रमांक इत्यादि भुगतान बिला में दर्शाया जाना अपेक्षित होता है। अतः इस चूक बारे स्पष्टीकरण देते हुए उपरोक्त वर्णित सभी सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ सम्बन्धित पंजिकाओ में की जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ग) अभिलेख की जाँच में यह भी पाया गया कि क्रम संख्याः 1 से 27 में वर्णित सभी बिलों की व्यय स्वीकृतियाँ उपमण्डलाधिकारी (नागरिक)–एवं– प्रशासक ई–गर्वनेन्स द्वारा दी गई हैं, जबकि अधिकांश मदों में व्यय की स्वीकृति सोसाइटी के उप नियम 8, 12 एवं संशोधित नियम 8.1 एवं 8.2 के अनुसार मुख्य प्रशासक से ली जानी अपेक्षित थी। अतः बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृतियों के क्रय किए गए सामान का औचित्य स्पष्ट करते हुए इस बारे में मुख्य प्रशासक से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(घ) क्रम संख्याः 3 से 6 में वर्णित भुगतान बिलों के सन्दर्भ में न तो कार्य की मात्रा दी गई और न ही यह दर्शाया गया कि यह कार्य किस कमरे में कहां–कहां किया गया है। अतः बिना कार्य की मात्रा एवं उसके स्थान इत्यादि के टाइलों का क्रय करने, उन्हें लगाने एवं रंग–रोगन के कार्य को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः इन भुगतान बिलों से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

13 भुगतान की गई ₹2,000/– से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे

(आर0एल0ए0) जयसिंहपुर द्वारा माह 07/2008 में रोकड़ बही के पृष्ठ संख्याः 37 के अनुसार ₹2,000/– का भुगतान चैक संख्याः 710890, दिनांक 04.07.2008 द्वारा श्री विनय धीमान, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के माध्यम से किया गया दर्शाया गया है, किन्तु उक्त भुगतान किसे किया गया है एवं किस बिल हेतु किया गया, इसके सन्दर्भ में किसी प्रकार का विवरण न तो रोकड़ बही मे दिया गया है एवं न ही भुगतान के समर्थन में कोई अभिलेख जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया, जिसके अभाव में उपरोक्त भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त इसे ई–गर्वनेन्स निधि में जमा करवाया जाए।

14 विविध

(क) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 140(2) सहपठित ई0–गर्वनेन्स फण्ड रूल्ज 9.3 के अनुसार वर्ष में स्टॉक के समस्त सामान का कम से कम एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है तथा यदि उसमें कोई विसंगति पाई जाए तो उसे तत्काल स्टॉक रजिस्टर में लिया जाना अपेक्षित था, किन्तु (आर0एल0ए0) जयसिंहपुर द्वारा अंकेक्षण अवधि के किसी भी वर्ष मे स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। अतः इस चूक बारे स्पष्टीकरण देते हुए अविलम्ब नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि में ई0 गर्वनेन्स सोसाइटी (आर0एल0ए0) जयसिंहपुर द्वारा **परिशिष्ट "ड"** के अनुसार केन्द्रीय इकाई धर्मशाला में केन्द्रीय इकाई के हिस्से के रूप में **₹** 85485/– जमा करवाई गई, परन्तु ई0 गर्वनेन्स सोसाइटी (आर0एल0ए0) जयसिंहपुर द्वारा समय–समय पर केन्द्रीय इकाई को केन्द्रीय इकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि तथा केन्द्रीय इकाई से समय–समय पर ई0 गर्वनेन्स सोसाइटी (आर0एल0ए0) जयसिंहपुर को जारी की गई विभिन्न मदों का मिलान केन्द्रीय इकाई से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 **लघु आपत्ति विवरणिका** :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

16 **निष्कर्ष** :– रोकड़ बही के रख–रखाव मे अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त रोकड़बही एवं बचत खाते में जमा शेष राशि का मिलान बैंक से करके बैंक समाधान विवरणी भी मासिक/वार्षिक आधार पर तैयार की जाए।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii)(49)/2015– खण्ड–1–, 4083–4087

दिनाकः17.07.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)–एवं–सचिव–ई0–गर्वनेन्स सोसाइटी (आर0 एल0 ए0) जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. जिलाधीश एवं अध्यक्ष ई0–गर्वनेन्स सोसायटी कांगडा, स्थित धर्मशाला, हि0प्र0
3. निदेशक, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171004
4. विशेष सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002
5. श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा ....

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009